प्रारुप–33

परियोजना का नामः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मिंयागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

आख्या संलग्न की गयी है।

ह0/–
(भू–वैज्ञानिक)
नाम व मुहर सहित

2674/13 प्र०
3/11/014

(58)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone&Fax:–+91135-2530467, 2530431 E-Mail-epwdua@rediff.com

पत्रांक:– 122/भू०/लो० नि०/6/14 दिनांक:–28/10/2014

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पुरोला।

विषय– मार्ग निर्माण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 पुरोला से सम्बंधित विकास खण्ड मोरी में मियांगाड–कुनारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एंव आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

H. Kumar
28.10.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

SBCJ

दिनांक:–

...मुख अभियन्ता यातायात वर्ग लो0नि0वि0 देहरादून को आख्या की प्रतिसहित सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

प्रतिलिपि – सहायक अभि० wo1 दिलीप को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता-I
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

03/XI/14

3/11/14

(59)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 132/2823/14

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियांगाड़–कुनारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता-I
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पुरोला (उत्तरकाशी)

अक्टूबर 2014

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियांगाड़–कुनारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग पुरोला के अन्तर्गत 12.00 कि0मी0 लम्बाई में मियांगाड़–कुनारा मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पुरोला के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 10.10.2014 को संबधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सोहन लाल वंशवाल के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में मियांगाड–कुनारा मोटर मार्ग का 12.00 कि0 मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण का कार्य स्वीकृत है। अवगत कराया गया कि मार्ग के निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर विचार किया गया था तथा समरेखन संख्या दो में अधिक वन भूमि एवं अधिक वृक्ष आने के कारण वन विभाग द्वारा समरेखन संख्या दो पर असहमति व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त इस समरेखन मे हेयर पिन बैण्ड्स भी अधिक हैं। अतः निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 पुरोला के द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन मोरी–सांकरी मोटर मार्ग परिवर्तित समरेखन (वरूणावत पैकेज) के कि0 मी0 8 से हिल साईड में आरम्भ होता है तथा ग्राम पांसा, लुधराला होते हुये कुनारा में समाप्त होता है। अवगत कराया गया कि समरेखन अधिकांश लम्बाई में नाप भूमि से तथा अपेक्षाकृत कम लम्बाई में वन भूमि से होकर गुजरता है। नाप भूमि में भूमि का ढलान 20° से 45° के मध्य प्रतीत होता है, जबकि वन भूमि तथा चट्टानी भाग में ढलान अधिक है। समरेखन में 11 हेयर पिन बैण्ड्स का प्रस्ताव है। एच0 पी0 बैण्ड्स सामान्यतः दूर–दूर नियोजित किये गये है। समरेखन क्षेत्र में संधियुक्त नीस चट्टान हैं तथा स्थान–स्थान पर इनके ऊपर मिट्टी/डेब्री का ओवरबर्डन है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।

(घ) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाना चाहिये अन्यथा मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(ड़) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(च) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

Photo copy Attested

[illegible]-I
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
[illegible]

(छ) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, विशेष रूप से बैण्ड्स पर एवं आबादी वाले भाग में, मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(ज) जहां आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव मार्ग पर अन्य कास ड्रैनेज स्ट्रक्चर्स का प्रावधान कियां जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ञ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

(ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सकिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. मियांगाड–कुनारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.00 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) **भूमि हस्तांतरण** की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खंण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये **सर्वेक्षण विवरण के** आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

Photo copy Attested

H. Kumar
28.10.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून

सहायक अभियन्ता-I
...
पुरोला (उत्तरकाशी)